उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास निगम लिमिटेड

upsidc

यूपीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स
ए–1/4, लखनपुर, कानपुर
पोस्ट बाक्स नं0– 1050
कानपुर : 208024
दूरभाष : 0512–2582851–53
फैक्स नं0 : (0512) 2580797
वेबसाइट : www.upsidc.com

(1)

सन्दर्भ संख्याः 2484-87/एसआईडीसी/IA/Policy/Vol-17 दिनांक 09-10-17

–:कार्यालय आदेशः–

निदेशक मण्डल की दिनांक 25.9.2017 को सम्पन्न हुयी 296वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ऐसे सभी वर्तमान प्रकरणों जिनमें निगम द्वारा आवंटित भूखण्ड का कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हो तथा आवंटी द्वारा भूखण्ड परिवर्तन की मांग की जा रही हो, आवंटी को निम्नवत् विकल्प उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया जाता है :–

<u>विकल्प संख्या–1</u> यदि आवंटी प्रश्नगत आवंटित भूखण्ड के स्थान पर उसी औद्योगिक क्षेत्र अथवा किसी अन्य औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड परिवर्तन हेतु इच्छुक हों तो यथासम्भव ऐसे आवंटियों के भूखण्ड इस सम्बन्ध में वर्तमान में भूखण्ड परिवर्तन हेतु लागू नीति, जोकि निगम के आपरेटिंग मैनुअल (औद्योगिक क्षेत्र) वर्ष 2011 के प्रस्तर 2.18 (b) में पृष्ठ संख्या 26 एवं 27 पर उल्लिखित है, के अनुसार परिवर्तित कर दिये जायेंगे। ऐसे प्रकरणों में निगम के समस्त देयों जैसे ब्याज, अनुरक्षण शुल्क तथा उस पर देय ब्याज, नियमानुसार देय पूर्ण समयविस्तारण शुल्क तथा उस पर देय ब्याज एवं अन्य नियमानुसार देयों का पूर्ण भुगतान आंवटी को भूखण्ड परिवर्तन से पूर्व करना होगा। इस प्रकार निगम के किसी देय की माफी नहीं की जायेगी।

अथवा

<u>विकल्प संख्या–2</u> विकल्पतः यदि आबंटी उपरोक्त बिन्दु संख्या–1 के अनुसार भूखण्ड परिवर्तन हेतु सहमत न हो तो आबंटी द्वारा इस शर्त के साथ भूखण्ड निगम को समर्पित किया जा सकेगा कि आवंटी द्वारा निगम में जमा करायी गयी पूर्ण धनराशि, चाहें वह किसी भी मद में जमा की गयी हो, प्रश्नगत धनराशि के जमा करने की तिथि से भूखण्ड समर्पण का पत्र निगम कार्यालय में प्राप्त होने की दिनांक तक जमा धनराशि पर 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित विलम्बतम एक माह के अन्दर वापिस कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में भूखण्ड समर्पण तथा उपरोक्त शर्त पर सहमति हेतु आवंटी से शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।

यह भी आदेशित किया जाता है कि सभी नये आबंटनों में यह प्राविधान भी किया जाये कि यदि आवंटन की तिथि से अधिकतम 06 माह की अवधि में निगम आबंटियों को प्रश्नगत भूखण्ड का कब्जा नहीं दे पाये तो उपरोक्त विकल्प संख्या–2 के अनुसार निगम द्वारा पूर्ण जमा धनराशि ब्याज सहित आबंटी को वापिस कर दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

(2)

यदि आवंटी ब्याज सहित जमा धनराशि वापसी का उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार न क चाहे तो वह उपरोक्त विकल्प संख्या-1 के अनुसार निगम के समस्त देयो का पूर्ण भुगतान वैकल्पिक भूखण्ड के परिवर्तन हेतु अपनी सहमति सम्बन्धी शपथपत्र देकर अधिकतम 02 वर्ष अवधि तक भूखण्ड परिवर्तन होने की प्रतीक्षा कर सकता है। तत्पश्चात भी यदि समस्या समाधान नहीं हो पाता है तो उपरोक्त विकल्प संख्या-2 के अनुसार ब्याज सहित जमा धनराशि आवंटी को अनिवार्यतः वापिस कर दी जायेगी। भूखण्ड इस प्रकार से उपलब्ध होने के पश्चात निगम द्वारा आवश्यकतानुसार ले-आउट इत्यादि में संशोधन/विकास कार्य कर/वाद निस्तारण कराकर समस्या का समाधान होने के उपरान्त तत्समय प्रचलित भूमि दरों पर नया आवंटन किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 2584-87/एसआईडीसी-आईए- पालिसी वाल्यूम-17 दि0 09-10-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,
3. कम्प्यूटर अनुभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेशों को तत्काल निगम की वेब साईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय कानपुर।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner